46/

संख्या–310/XVIII-(2)/F/14-04(08)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
सिंचाई विभाग, देहरादून
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी, 2014

विषयः– दैवीय आपदा/सी.एस.एस. (पुनर्निर्माण) मद के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति एवं धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

चूँकि वर्ष 2013 में आयी भीषण आपदा के कारण उत्तरकाशी में गंगा नदी के किनारे गम्भीर कटाव के कारण जन–जीवन गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है; और चूँकि यदि तत्काल बाढ़ सुरक्षा कार्य इस क्षेत्र में प्रारम्भ नहीं किये जाते हैं तो उत्तरकाशी नगर क्षेत्र विशेष रूप से मनेरी भाली परियोजना फेज–2 के जल प्रवाह क्षेत्र से सटे नगर क्षेत्र में गम्भीर जन एवं सम्पत्ति हानि की प्रबल सम्भावना है। अतः उत्तरकाशी शहर क्षेत्र को सम्भाव्य जन एवं सम्पत्ति हानि की स्थिति से बचाने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। चूँकि आगामी मानसून हेतु समय कम है, और अभी भारत सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है, और बाढ़ सुरक्षा निर्माण विषय भी तात्कालिकता का है और जनजीवन की रक्षा हेतु सुरक्षा निर्माण तात्कालिक रूप से किये जाने अतिआवश्यक हैं। इसलिये आपके पत्रांक–659/मु0अ0वि0/बजट/बी–1(सामान्य), दिनांक 18.02.2014, पत्रांक–510/मु0अ0वि0/नियो0/पी–27, दिनांक 22.02.2014 एवं प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–101/123/रा0यो0आ0/2013–14, दिनांक 27.01.2014 एवं दैवीय आपदा बाढ़/सी.एस.एस. पुनर्निर्माण हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक दिनांक 10.02.2014 व 22.02.2014 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी.एस.एस. (पुनर्निर्माण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में बाढ़ सुरक्षा में की गयी 02 संख्या योजनायें, जिनका विवरण संलग्नक–1 में अंकित है, की धनराशि ₹ 1000/– लाख (₹ दस करोड़ मात्र) राज्य सरकार के अंशदान के रूप में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

ii. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की

क्रमशः–2

नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

iii. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

iv. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आंगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

v. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

vi. प्रश्नगत योजनाओं पर नियमानुसार सिंचाई विभाग अन्तर्गत विभागीय टी.ए.सी. सहित टी.ए.सी. वित्त विभाग व व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

vii. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

viii. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

ix. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

x. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

xi. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

xii. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई द्वारा प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

xiii. धनराशि आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

xiv. संलग्नक –1 में उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। आंगणन में स्वीकृत

कृपया-3

डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

xv. प्रश्नगत योजनाओं पर दूसरी किस्त उस दशा में अवमुक्त की जायेगी, जब योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा सभी स्वीकृतियाँ भारत सरकार आदि से प्राप्त कर ली गयी हैं। सचिव, सिंचाई इस सम्बन्ध में भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर युद्ध स्तर पर सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त कर लेंगे।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 के लेखा शीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य –800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–07–ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत सिंचाई हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ.प.सं.–126 P/XXVII(5)/2014, दिनांक 25 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या–3/(1)/XVIII-(2)/F/14-04(08)/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मा. सिंचाई मंत्री जी को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/5, उत्तराखण्ड शासन।
9. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
12. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, द्वारा विभागाध्यक्ष, सिंचाई, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या– 310 (1)/XVIII-(2)/F/14-04(08)/2014 दिनांक 26 फरवरी,2014 का संलग्नक।

(रू० लाख में)

क्र.सं.	जनपद	योजना का नाम	प्रस्तावित लागत (लाख रू. में)	10 प्रतिशत राज्यांश के सापेक्ष अवमुक्त की जा रही धनराशि (प्रथम किस्त)
1.	उत्तरकाशी	River Training Works Including Miscellaneous Associated Works on Both Banks of Bhagirathi River as per requirement form Jhula Pul to Tiloth Bridge excluding proposed works on left bank from Tiloth Bridge to Switechyard of MD-I at Uttarkashi.	8072.75	700.00
2.	उत्तरकाशी	Protection Work on both banks of Bhagirathi River from Joshiyara Barrage to Jhulapul at Uttarakashi.	5144.78	300.00
		योग यू.जे.वी.एन.एल.	13217.53	1000.00
		महायोग–सिंचाई विभाग एवं यू.जे.वी.एन.एल.	92295.26	

(भास्करानन्द)
सचिव